



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224209
CG-DL-E-06012021-224209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 05, 2021/पौष 15, 1942

No. 34]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 05, 2021/PAUSHA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

का.आ. 34(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH361 New के कि.मी. 465.5 से कि.मी.524.69 (वर्धा-बुटीबोरी सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 सितंबर 2020" को "दैनिक भास्कर" और "लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में **NH361 New** के कि.मी. **465.5** से कि.मी.**524.69** (वर्धा-बुटीबोरी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वर्धा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: वर्धा				
	गांव का नाम: पवनार				
1	201	निजी	गैरकृषी	0.0005	कमलादेवी गोपालदास राठी (201/3)
2	201	निजी	गैरकृषी	0.0056	कमलादेवी गोपालदास राठी (201/4)
3	201	निजी	गैरकृषी	0.0279	रविंद्र देविदास एकापूरे (201/5)
4	203	निजी	कृषी	0.1	प्रेमनाथ बापुराव पाहूणे (203)
5	204	निजी	गैरकृषी	0.0013	अनिता रामनरेश चौधरी, कांताबाई लक्ष्मणराव सावरकर, संदीप लक्ष्मणराव सावरकर (204)
			कुल	0.1353	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 34(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH361 New on the stretch of land from Km 465.5 to Km 524.69 (Wardha to Butibori Section) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Lokmat” both dated 05th September 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH361 New in the stretch of land from Km. 465.5 to Km. 524.69 (Wardha to Butibori Section) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: WARDHA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Wardha				
	Village: Pavnar				
1	201	Private	Non Agricultural	0.0005	Kamladevi Gopaldas Rathi 201/3
2	201	Private	Non Agricultural	0.0056	Kamladevi Gopaldas Rathi 201/4
3	201	Private	Non Agricultural	0.0279	Ravindra Devidas Ekapure 201/5
4	203	Private	Agricultural	0.1	Premnath Bapurao Pahune 203
5	204	Private	Non Agricultural	0.0013	Anita Ramnaresh Chaudhari, Kantabai Lakshmanrao Sawarkar, Sandip Lakshmanrao Sawarkar 204
			TOTAL	0.1353	

[F.No. NHAI/LA/NH-361/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director